Doon Valley Officers' Cooperative Housing Society Limited

(Regd. Under Co-operative Societies Act II of 1912, Reg. No. 723 dated 07-06-1966)

Vasant Vihar, Chakrata Road, Dehradun

E-mail- dvochsl2@gmail.com 7668441801

Ref.No:- 1896 /DVOCHSL/GBM/23 Date: 12 .01.2024

विषय : DVOCHSL की सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 03.01.2024 का कार्यवाही विवरण।

बैठक के निर्धारित समय (11:00 प्रातः) पर गणपूर्ति (Quorum) पूरा न होने के कारण बैठक 11:30 बजे तक के लिये स्थगित की गयी। स्थगित बैठक 11:30 बजे प्रारम्भ हुई। बैठक में 11:30 बजे 22 सदस्य उपस्थित थे (सूची संलग्न)। समिति की उपविधि 26 के अनुसार बैठक हेतु गणपूर्ति पूर्ण होने के फलस्वरूप, समिति सचिव द्वारा सभी सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक प्रारम्भ की गयी। बैठक के विषय सूची के बिन्दुओं पर निम्नानुसार चर्चा कर निर्णय लिये गये :–

विषय सूची बिन्दु–1 : भूखण्ड क्रमांक 117/1 एवं 182/1 को लीज पर देने हेतु पुनः नीलाम के सम्बन्ध में।

सदस्यों को अवगत कराया गया कि सामान्य सभा द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का विधिवत पालन करते हुये भूखण्ड क्रमांक 117/1 एवं 182/1 को लीज पर देने हेतु, लीज राशि के विर्धारण हेतु निर्धारित नीलाम की तिथि 18/12/2023 निर्धारित थी। नीलाम में भाग लेने के लिये पात्र 12 आवेदकों में से एक भी आवेदक द्वारा निर्धारित समयावधि पर EMD राशि जमा न करने के कारण नीलाम निरस्त किया गया। नीलाम में भाग न लेने के कारणों की जानकारी लेने पर आवेदकों द्वारा भूखण्डों की लीज राशि के निर्धारण हेतु निर्धारित अवरोध मूल्य 45,000/– प्रति गज को बहुत अधिक होना बताया गया।

विचारोपरान्त यह प्रस्ताव दिया गया कि पूर्व में 20/08/2023 को सामान्य सभा (GBM) की बैठक में अनुमोदित अवरोध मूल्य 37,000/– प्रति गज के आधार पर नीलाम किया जाये।

सभापति द्वारा सदस्यों से 20/08/2023 की GBM में अनुमोदित अनुरोध मूल्य 37,000/– प्रति वर्ग गज के आधार पर लीज राशि के निर्धारण हेतु नीलाम करने के प्रस्ताव पर उपस्थित 22 में से 20 सदस्यों द्वारा समर्थन करने पर प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रकार निर्णय लिया गया कि 37,000/– प्रति वर्ग गज के अवरोध मूल्य के आधार पर पुनः नीलाम यथाशीघ्र किया जाये।

बैठक में निम्न सुझाव भी प्राप्त हुये :–

(i) प्लॉट्स को 45,000/– प्रति गज की वर्तमान में अनुमोदित Upset Price पर पुनः नीलाम किया जाये। यह प्रक्रिया 3 नीलाम तक जारी रखी जा सकती है।

(ii) प्लॉट का उपयोग सोसायटी द्वारा अन्य सामुदायिक/व्यवसायिक उपयोग के लिये किया जाये।

उपरोक्त सुझावों को अधिकांश सदस्यों द्वारा समर्थन नहीं दिया गया।

विषय सूची बिन्दु–2 : वसन्त विहार क्लब का DVOCHSL के साथ (विलय) के प्रस्ताव पर विचार।

विषय पर सदस्यों को उपलब्ध कराई गयी विस्तृत टीप पर चर्चा हुई। वसन्त विहार क्लब की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 03/12/2023 में पारित प्रस्ताव "It was unanimously resolved to integrate (विलय) the VV Club with DVOCHSL." पर विचार किया गया। चर्चा उपरान्त वसन्त विहार क्लब की वार्षिक सामान्य निकाय (AGM) की बैठक में क्लब के सोसायटी (DVOCHSL) में विलय (Integration) सम्बन्धी पारित प्रस्ताव पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

(i) वसन्त विहार क्लब का DVOCHSL में विलय करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(ii) निर्णय लिया गया कि वसन्त विहार क्लब के सोसायटी में विलय उपरान्त समिति के सभी सदस्य वसन्त विहार क्लब के स्वमेव सदस्य होंगे।

(iii) यह निर्णय लिया गया कि वसन्त विहार क्लब के विकास हेतु DVOCHSL द्वारा अपनी विकास निधि से प्रति वर्ष क्लब की आवश्यकता के अनुरूप अनुदान दिया जाये। सदस्यों के स्वास्थ्य, खेल एवं मनोरंजन की सुविधाओं के विकास के लिए सोसायटी द्वारा विकास निधि से व्यय का प्रावधान रखा जाये।

(iv) वसन्त विहार क्लब के नये Bye-Laws (उपविधि) में आवश्यक परिवर्तन हेतु एक उपसमिति का गठन करने के लिये सभापति DVOCHSL को अधिकृत किया गया।

(v) क्लब की वर्तमान कमेटी अपनी निर्धारित अवधि तक यथावत् कार्य करे।

सभापति द्वारा समस्त सदस्यों को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

(कर्नल डी.के. बड़थ्वाल (से.नि.))
सचिव

(धीरेन्द्र शर्मा)
सभापति

संलग्न :

उपस्थित प्रतिनिधियों की सूची।